(ग) "आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत राज्यों को आधुनिक हाथ के औजारों, अग्निरोधी वस्त्रों की खरीद, अग्नि खोजियों, अग्नि टेंडर्स, निगरानी टावरों के निर्माण, अग्नि रेखा बनाने, प्रशिक्षण और प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है ताकि राज्य वनों में लगी आग को रोक सकें, उसका पता लगा सकें और उसका शमन कर सकें।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का बंद किया जाना

331. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का नोटिस जारी किया है; यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सर्वेक्षण के आधार क्या थे; और;

(ग) क्या इस नियम को लघु इकाइयों पर भी लागू किया गया है; यदि हां, तो भिन्न-भिन्न राज्यों में ऐसी इकाइयों की कितनी-कितनी संख्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 9164 बड़े, मझोले और छोटे उद्योगों को गैर समनुरूप क्षेत्रों में कार्य करने अथवा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना समनुरूप क्षेत्रों में कार्य करने के कारण इकाइयों को बंद करने अथवा उन्हें अन्यत्र स्थापित करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार भारी प्रदूषण की संभाव्यता वाले अभिनिर्धारित 17 श्रेणियों के उद्योगों में आने वाली केवल बड़ी और मंझौली तीन इकाइयां हैं। ये नोटिस दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण/निरीक्षण के आधार पर जारी किए गए थे।

Providing telephone connections by private companies

332. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the advertisements given in leading newspapers in Delhi by some private companies inviting applications for providing telephone connections at a cost of Rs. 2,500/- offering certain other concessions also;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have given licences to private companies for the purpose; and

(d) if so, on what terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Yes, Sir. Recently some advertisements have appeared in some newspapers offering telephone connections in Delhi. There are purported to be given under the scheme for operation of indialling EPABXs by private parties under franchise. A security deposit of Rs. 2500/- and monthly rental charges from extension users will be upto a maximum of Rs. 100/- under this scheme.

(c) So far, no licence has been issued to any private company in Delhi under this scheme.

(d) Does not arise.

Commissioning of pineapple juice concentrate plant at Silchar.

333. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the originally fixed date of commissioning of the pineapple juice